झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / सं०(नि०) राँची –03–09 / 2019 (पार्ट–2) .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

राँची जिलान्तर्गत सोनाहातू प्रखण्ड के कांची नदी नहर निर्माण में अनियमितता के संदर्भ में माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा श्रीमती सीमा देवी से प्राप्त परिवाद के आलोक में अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल, राँची सम्प्रति उड़नदस्ता से मामले की जाँच करायी गयी।

2. अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल, राँची सम्प्रति उड़नदस्ता के पत्रांक– 159 दिनांक– 24.08.2020 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4738 दिनांक– 22.09.2021 द्वारा श्री निर्मल कुमार सांडिल (ID-JC0119) सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–16 एवं 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री निर्मल कुमार सांडिल, सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्न आरोप गठित थे :–

(i) राँची जिलान्तर्गत सोनाहातू प्रखण्ड में कांची वीयर नहर के निर्माण में वर्ष 2018–19 में नहर कार्य में प्राक्कलन के विपरीत कई स्थानों पर thickness कम पाया गया है, जो श्री निर्मल कुमार सांडिल, सहायक अभियंता द्वारा पर्यवेक्षण में कमी एवं लापरवाही का द्योत्तक है।

(ii) उड़नदस्ता द्वारा प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि योजना में विभिन्न व्यास के Hume pipe fitting के द्वारा Canal structure का प्रावधान है, परन्तु इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है।

3. श्री सांडिल, सहायक अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक– 149 दिनांक– 09.12.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में प्रथम आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक– 1894 दिनांक– 31.03.2022 द्वारा श्री सांडिल से जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए बचाव–बयान की माँग की गयी।

5. श्री सांडिल से प्राप्त बचाव–बयान दिनांक– 18.04.2022 के सम्यक् समीक्षोपरान्त बचाव–बयान को पूर्ण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध "दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड प्रस्ताव सहित विभागीय पत्रांक– 3802 दिनांक– 20.07.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री सांडिल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक– 01.08.2022 एवं बचाव–बयान के सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री सांडिल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्रतिवेदन पूर्व में उनके द्वारा समर्पित बचाव–बयान की ही पुनरावृत्ति है एवं इसमें कोई नया साक्ष्य / तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

P.T.O

अतएव, श्री निर्मल सांडिल, तदेन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू के द्वितीय कारण पृच्छा को सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) "दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक"

7. इस पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(जनार्दन महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : ....राँची/दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(जनार्दन महतो)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 6017 राँची/दिनांक 29/11/22

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार विभाग, राँची /मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमण्डल, राँची/ अवर सचिव प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री निर्मल कुमार सांडिल, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, रूपांकण प्रमण्डल, राँची/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.11.22
(जनार्दन महतो)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Ranhci._03_09_2019_(Part_2).docx 2